पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2019

अनवान :

1. सुरेश पुत्र जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. जसराम पुत्र नागर जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पारी देवी पत्नी जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्र जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनीता पुत्री जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भिरानी।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुा जरिये शाखा प्रबन्धक अजीतपुरा।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही झिलौदा के खाता सं0 135/135 के खसरा सं0 213 की 13.266 है0, खसरा सं0 233 की 5.350 है0, खसरा नं0 245 की 0.948 है0, खसरा नं0 324 की 2.251 है0, खसरा सं0 426/222 की 2.984 है0, कुल तादादी 24.799 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी जसराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जसराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुरेश खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार ग्राम झिलौदा के खाता सं0 135/135 की कुल 24.799 है0 कृषि भूमि वादी सुरेश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा ग्राम झिलौदा के खाता सं0 49/47, खाता सं0 45/43 व खाता सं0 48/46 की जो कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जसराम के नाम दर्ज रिकार्ड है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 100/2019

अनवान :

1. सुरेश पुत्र जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। **– वादी**

बनाम

1. जसराम पुत्र नागर जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पारी देवी पत्नी जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजबाला पुत्र जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनीता पुत्री जसराम जाति जाट निवासी गांव झिलौदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भिरानी।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा अजीतपुा जरिये शाखा प्रबन्धक अजीतपुरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: वादी**
वकील श्री रविन्द्र मोठसरा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 27-08-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही झिलौदा के खाता सं0 135/135 में 24.799 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खसरा सं0 213 की 13.266 है0, खसरा सं0 233 की 5.350 है0, खसरा नं0 245 की 0.948 है0, खसरा नं0 324 की 2.251 है0, खसरा सं0 426/222 की 2.984 है0, कुल तादादी 24.799 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी जसराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

इसी प्रकार रोही झिलौदा के खाता सं0 48/46 में खसरा सं0 88 की 2.719 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। जिसमें 2.213 है में जसराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी स्थित है।

रोही झिलौदा के खाता सं0 49/47 में खसरा सं0 50 की 1.277 है0 खसरा सं0 51 की 1.486 है0, खसरा सं0 87 की 0.645 है0, कुल तादादी 3.408 है0 बारानी रोही मौजा झिलोदा के खाता सं0 45/43 की कुल 8.309 है0 में से 40 हिस्सा खातेदारी जसराम के नाम से स्थित है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

उपर वर्णित वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीया राजबाला, सुनीता का जन्म से हक निहित है। पारी देवी का भी वाद भूमि में वादी के बराबर हक व हिस्सा है। प्रतिवादीया राजबाला, सुनीता एवं वादी सुरेश प्रतिवादीया पारी देवी का भी वादी के साथ जसराम के नाम स्थित खातेदारी कृषि भूम में बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा है। वाद भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद एवं पैतृक कृषि भूमि है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 के नाम रहने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वाद भूमि संबंध में आपस में वाहमी बंटवारा हो चुका है। वाद भूमि में वादी की बहने राजबाला व सुनीता ने अपना संपूर्ण हक व हिस्सा अपने सगे भाई वादी सुरेश के पक्ष में तर्क कर शुन्य कर लिया है। इसलिए वाद भूमि में वादी सुरेश 3/5 हिस्सा, प्रतिवादी जसराम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 पारी 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 5 व 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सुरेश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम झिलौदा खाता सं0 135/135 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम झिलोदा 2052 से 55 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम झिलौदा खाता सं0 48/46 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 4, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम झिलौदा खाता सं0 49/47 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 5, चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम झिलौदा खाता सं0 45/43 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम झिलोदा 2052 से 55 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि के खाता सं0 135/135 के खसरा सं0 213, 222, 233, 245, 324 वादी के दादा नागर वल्द श्योकरण के नाम दर्ज है जिससे उक्त खसरों की हद तक वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है अन्य वाद कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने ग्राम झिलौदा के खाता सं0 49/45 की 3.408 है0, खाता सं0 47/23 की कुल 8.309 में 40 हिस्सा व खाता सं0 48/46 की 2.313 है0 में 1/2 हिस्सा जो कि जसराम के नाम दर्ज में प्रतिवादी सं0 1 जसराम व जसराम की पत्नी एवं वादी की माता प्रतिवादीया सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने पर अपने द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में सहमति प्रकट की है किन्तु पति के जीवन काल में पत्नि हक की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है एवं वारिस प्रमाण पत्र में जसराम के वारिसान में पत्नी पारी देवी, पुत्र सुरेश व दो पुत्रियां राजबाला एवं सुनीता सही व जायज वारिस होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही झिलौदा के खाता सं0 135/135 के खसरा सं0 213 की 13.266 है0, खसरा सं0 233 की 5.350 है0, खसरा नं0 245 की 0.948 है0, खसरा नं0 324 की 2.251 है0, खसरा सं0 426/222 की 2.984 है0, कुल तादादी 24.799 है0 बारानी जिसमें प्रतिवादी जसराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 जसराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुरेश खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार ग्राम झिलौदा के खाता सं0 135/135 की कुल 24.799 है0 कृषि भूमि वादी सुरेश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा ग्राम झिलौदा के खाता सं0 49/47, खाता सं0 45/43 व खाता सं0 48/46 की जो कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 जसराम के नाम दर्ज रिकार्ड है वह यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:43:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: